न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 93 / 2022 RCMS 2022/185

वादी

1. गंगाराम पुत्र झूथाराम जाति कुमावत निवासी हीराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा रिकार्ड दुरूस्ती शुद्वि व खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक 13/8/2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में ग्राम हिराणी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1053 / 300 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 1.24 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है, उपरोक्त भूमि में वादी का नाम झूमराराम पुत्र झूथाराम जाति कुमावत है जबकि वादी का वास्तविक नराम गंगाराम पुत्र झूथाराम जाति कुमावत है। उपरोक्त भूमि में पिता का देहान्त होने के पश्चात विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम अलग से झूमराराम पुत्र झूंथाराम कुमावत दर्ज हो गया जबकि वादी का वास्तविक नाम गंगाराम पुत्र झूथाराम जाति कुमावत है, वादी का नाम आधार कार्ड, जन आधार, पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस व श्रमिक कार्ड व बैंक खाते में गंगाराम पंत्र झूथाराम अंकित है, इसलिए वादी का नाम झूमराराम पुत्र झूथाराम के स्थान पर गंगाराम पुत्र झूथाराम कुमावत किया जाना अति आवश्यक है ताकि वादी को ऋण इत्यादि लेने में किसी प्रकार की असुविधा नही हो इसलिए यह रिकार्ड दुरूस्ती व खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद लाना आवश्यक हुआ है, बिनाय दावा पटवारी हल्का को नाम शुद्वि बाबत कहा तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया और बताया कि ऐसा न्यायालय आदेश से ही सम्भव है वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम हिराणी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1053 / 300 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 299

उपखण्ड अधिकारी (मुहर) कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 1.24 हैक्टर में वादी का नाम झूमराराम पुत्र झूथाराम जाति कुमावत के स्थान पर गंगाराम पुत्र झूथाराम जाति कुमावत शुद्वि दुरूस्ती किया जाकर स्पष्ट खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बन्द किया गया। वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से आधार कार्ड सं. 397944485274, जन आधार कार्ड सं. 4788754460, पहचान पत्र KWJ/1414903, ड्राईविंग लाईसेंस RJ37/A/DLC/14/68405, श्रमिक कार्ड B2/2020/0004943, बैक पास बुक यूको बैंक की छाया प्रति, ग्राम पंचायत हीराणी द्वारा दिनॉक 24.05.2022 की मूल प्रति, गंगाराम द्वारा अपने समर्थन में स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र, चालू जमाबंदी की नकल प्रस्तुत की। वकील वादी ने जमाबंदी में अंकित झूमराराम पुत्र झूथाराम कुमावत के स्थान पर गंगाराम पुत्र झूथाराम कुमावत शुद्व प्रविष्टि की जावें। प्रकरण में उपलब्ध के दस्तावेजो का अवलोकन किया गया, उपरोक्त दस्तावेजात अनुसार नाम शुद्व किये जाने योग्य है चूँकि उपरोक्त समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम गंगाराम पुत्र झूथाराम है जबकि वादी के पिता के देहवास के पश्चात नामान्तरकरण दर्ज करते समय बोलता नाम झूमराराम पुत्र झूथाराम सहवन से दर्ज कर दिया गया। उक्त जमाबंदी में झूमराराम पुत्र झूथाराम की प्रविष्टि शुद्व किये जाने से निम्न प्रकार शुद्व की जाती है।

आदेश

ग्राम हिराणी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1053/300 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 1.24 हैक्टर में अंकित अशुद्व प्रविष्टि झूमराराम पुत्र झूथाराम कुमावत सा. देह खातेदार के स्थान पर शुद्व प्रविष्टि गंगाराम पुत्र झूथाराम कुमावत सा. देह दर्ज की जावें। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 13/8/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 93/2022 **RCMS 2022/185**

वादी

1. गंगाराम पुत्र झंथाराम जाति कुमावत निवासी हीराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा रिकार्ड दुरूस्ती शुद्वि व खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, **ग्राम हिराणी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1053/300 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 1.24 हैक्टर में अंकित अशुद्व प्रविष्टि झूमराराम पुत्र झूथाराम कुमावत सा. देह खातेदार के स्थान पर भाुद्व प्रविष्टि गंगाराम पुत्र झूथाराम कुमावत सा. देह दर्ज की जावें। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 8 सन् 2022 ...... को जारी की गई।

दस्तखत..........................

ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।